

देवक,

एच०पी० सिंह
विशेष सचिव
उपरोक्त शासन।

लघु नं.

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास आमिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्नति कार्यक्रम विभाग।

दिष्ट:- शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मलिन वस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4723/99/10/छ./विविध/आसरा/तकनीकी(बदायूँ-मुडिया-168) दिनांक 20 फरवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मलिन वस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद-बदायूँ की निकाय-मुडिया की 115 आवासों की 01 परियोजना हेतु ₹ 0 570.84 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि ₹ 0 285.42 लाख (रुपये दो करोड़ पचासी लाख बयालिस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद/ निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	अवस्थापना सुविधाओं सहित कुल आवासीय लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	प्रथम किशत (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस सहित)।
1	2	3	4	5	6	7
1	बदायूँ/ मुडिया	168	833.92	115	570.84	285.42
योग				115	570.84	285.42

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्षियरेन्स प्राप्त करने के तुपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

भा० भोप०/भा० अरुल०, भा०


-2/-

८८८१८८

१. उक्त इनाई शहर/प्रदेश के उचित सम्बोधन प्रणाली/राज्य उत्तराखण्ड सरकार के दिए गए शब्दों में से उक्त उपर्युक्त अनुसार निम्नलिखित नदि के लिये जै लाली व उत्तराखण्ड के कार्यकालीन स्वीकृत नदि भवा है किसे प्रभार का परिवर्तन अनुमति नहीं दिया जायेगा।
२. उक्त इनाई शहर/प्रदेश में स्वीकृत नदि नहीं है, उक्त उपर्युक्त उत्तराखण्ड के कार्यकालीन स्वीकृत नदि भवा के लिये जै लाली व उत्तराखण्ड के अनुमति दिया जायेगा। परिवर्तनार्थ वह गुणवत्ता व परिवर्तन के साथ ऐसी विधियों लायेगी एवं फिरी द्रकार वा वास्तु पर्याप्त गति अनुबन्ध लगे होंगा।
३. दूड़ा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इन लाई देतु पूर्व में एवं सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी भूम्य जाये योजना में सम्वेदित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आर्वाट परिवर्त्य के अनुगत होने एवं कार्यों की द्विराशि/पुनरुद्यते न हो इन सूड़ा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
४. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ावा, कार्यों के आवार/होडफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये विभा नहीं किया जायेगा। इसके आतेरिक्त समित द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्णय करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/इंजिन बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
५. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीट आवासों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
६. सूड़ा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकोंकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
७. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
८. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्तानारोपरान्त किया जायेगा।
९. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), ३०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
१०. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०एल००० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
११. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनान्तर्गत प्रथम किशत के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उपरोगिता प्रमाण-प्र

शासन का निम्नय है उपलब्ध वराय जाएगा। लदापरवत साझा यी अवधीय/ट्रिनीज निरत की पत्राशि अदमुक्त को जायेगी। निर्धारित अधिक दे वा ऊपरांग इनराशि यदि बोई हो, तो एकमुक्त शासन दो दायरा छर्नी होगी।

15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विभास अभिकरण, 30030, लखनऊ आवरण को वांचन पर अपल लेखो का जिलान समालेखाकार के कार्यालय के लिये है अदरय वरायेगी।
16. परियोजना से सम्बन्धित लिंगांग इकाई से अधाव्यवस्था इनराशि अदन्यत करने से पूर्ण आवद्या (एम०झ००३०) निष्पाटित विद्य जाने हेतु सूडा टारा सम्बन्धित दूडा को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरांत इनराशि का व्यव चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक ने अदान संख्या 37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर घूमीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-ई-8-1812/दस-2015 दिनांक 23 जून, 2015 ने प्राप्त उल्की सहनति से जारी किये जा रहे हैं।



 भगदीय
 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या- 592/2015/591(1)/69-1-15. तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय विधि लेखा परिक्षा विभाग, 3030, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बदायूँ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,


 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।